

आवेदन की तिथि  
01.05.2013  
से  
31.05.2013  
तक

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

द्वारा

वाराणसी, मेरठ, आगरा, बरेली जोन की योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं हेतु भूखण्ड प्राप्त करने का

## सुनहरा अवसर



### शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नीलामी हेतु शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

योजना का नाम	सेक्टर/ भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	वर्तमान भूमिदर+ लीजरेन्ट+कार्नर शुल्क(कार्नर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य	पंजीकरण धनराशि (₹.लाख में)
<b>वाराणसी जोन</b>					
भरतपुरी योजना, गोण्डा	Phase-2	1587.50	7260	11525250	1152525
भरतपुरी योजना, गोण्डा	Phase-3	1826.82	7260	13262713	1326271
<b>आगरा जोन</b>					
मैनपुरी योजना सं.-1	Sector-3	1286.62	6776	8718137	871814
कासगंज योजना	1/PS-1	3496.75	6655	23270871	2327087
कासगंज योजना	4A/NS-1	1922.77	6655	12796034	1279603
कृष्ण विहार योजना, मथुरा	4B/1	1959.00	8470	16592730	1659273
<b>मेरठ जोन</b>					
माधवपुरम् योजना सं.-10, मेरठ	3/NS-1	1691.70	11495	37030755	3703075
माधवपुरम् योजना सं.-10, मेरठ	3/NS-3	894.00	11495	9893846	989385
माधवपुरम् योजना सं.-10, मेरठ	Sector-4	1575.00	11495	21487331	2148733
अशोक विहार योजना, खतौली	D-Block (School Plot)	2227.50	7506	16719615	1671962
<b>बरेली जोन</b>					
मझोला यो. सं.-4, भाग-2, मुरादाबाद	6B/01	2914.66	12705	37030755	3703075
मझोला यो. सं.-4, भाग-2, मुरादाबाद	6B/02	856.61	115550	9893846	989385
मझोला यो. सं.-4, भाग-2, मुरादाबाद	7C/01	1691.25	12705	21487331	2148733
मझोला यो. सं.-4, भाग-2, मुरादाबाद	10/01	10075.71	12705	128011896	12801190
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद	---	2641.50	14036	37076094	3707609
सम्भल गेट योजना, सं.-1, चन्दौसी	---	3917.59	7502	29389760	2938976
योजना संख्या-2, अमरोहा	---	1385.00	7700	10664500	1066450
टैगोर नगर योजना, पीलीभीत	SCH-B/01	1020.43	6655	6790962	679096

### महत्वपूर्ण नियम व विवरण :

- उपरोक्त दर प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि को संबंधित योजना की आवसीय दर है। अतः किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि संशोधनीय होगी।
- उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षणिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा तथा साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
- उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे।
- विस्तृत नियम एवं शर्तें परिषद की वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर देखी जा सकती है।
- विनियमावली एवं आवेदन पत्र सहित पुस्तिका ₹ 1000/- के नगद भुगतान पर सम्बन्धित नगर के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय एवं परिषद मुख्यालय के प्रचार अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
- शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/सी.बी.एस.ई. बोर्ड/आई.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमत्य की जायेगी।
- विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त शैक्षिक भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी-वृद्धि हो सकती है जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्हीं कारणों से यदि परिषद द्वारा भूखण्ड के मूल्य, क्षेत्रफल एवं शर्तों में परिवर्तन करना पड़ता है तो आवेदक संस्था को मान्य होगा।
- संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने, अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
- नीलामी स्थल एवं नीलामी तिथि की सूचना उपलब्ध कराये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी।

आवास आयुक्त

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें-

**1800-180-5333** (टोल फ्री), **0522-2236803**

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**

(सेवोत्तम अनुवर्ती)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226 001

Website: <http://www.upavp.com>; e-mail: [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)